

प्रमाण पत्र

मैं प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण के लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु जो शर्ते भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाई जायेगी मैं उसका अनुपालन करने का वचन देता हूँ।


रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशाली अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड,
लो.नि.वि., सोनभद्र

रमेश चन्द्र (कटियार)

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र

पतिहस्ताक्षरित



(संजीव कुमार सिंह)

प्रभार्याय वनधिकारी
सोनभद्र वन प्रभान, सोनभद्र